मिसल नम्बर 43/2020
निर्णय दिनांक 15–10–2020

राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– कृष्ण सिंह
मिसल नम्बर :– 43/2020

सरकार

बनाम

ताराचन्द मीणा पुत्र प्रहलाद जाति मीणा निवासी देवनगर तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज0।

....................गैर सायल

(अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट–1956)

दिनांक :– 15–10–2020

–: निर्णय :–

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल को आवाज दिलवाई गई। आवाज पर कोई हाजिर नही। आगे पत्रावली का अवलोकन किया तो जाहिर हुआ है कि पटवारी हल्का नांगलिया गुजरवास के द्वारा इस आशय की रिपोर्ट पेश की गई है कि **राजस्व ग्राम देवनगर** स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 1480 रकबा 3.07 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकीन पहाड़ के रकबा 444 वर्ग मीटर पर से गैर सायल ताराचन्द मीणा पुत्र श्री प्रहलाद जाति मीणा निवासी देवनगर तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज0 ने गैर मुमकिन पहाड़ पर चारो तरफ बाड़ लगाकर कर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर लिया है। जिनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जावे।

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी के गैर सायल के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर अतिक्रमी के नाम सबूत एवं सुनवाई हेतु राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। न्यायालय हाजा से जारी नोटिस गैर सायल से सम्यक रुप से बाद तामिल प्राप्त। गैर सायल की ओर से कोई ठोस सबूत पेश नही हुआ है।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात् एवं पटवारी रिर्पोट का ध्यानपूर्वक अवलोकन मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि गैर सायल ताराचन्द मीणा पुत्र प्रहलाद जाति मीणा निवासी देवनगर खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज0 ने **राजस्व ग्राम देवनगर** स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 1480 रकवा 3.07 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकीन पहाड के रकबा 444 वर्ग मीटर भूमि पर चारो तरफ बाड़ लगाकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर लिया है। गैर सायल को राजकीय भूमि को अनाधिकृत रूप से अपने अधिभोग में लेने या रखने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। राजकीय भूमियां राजकीय प्रयोजनों के लिए सुरक्षित रखी गई है। अतः पटवारी हल्का नांगलिया गुजरवास की रिपोर्ट स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

तहसीलदार खेतड़ी
जिला- झुन्झुनूं (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirshan Singh
Date: 2020.10.23 14:59:08 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

मिसल नम्बर 43 /
निर्णय दिनांक 15–10–

–: आदेश :–

अतः प्रकरण में गैर सायल की अनुपस्थिति में गैर सायल के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का नांगलिया गुजरवास के प्रश्नगत भूमि पर गैर सायल को अतिक्रमी घोषित किया जाकर **राजस्व ग्राम देवनगर** स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 1480 रकबा 3.07 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकीन पहाड़ के रकबा 444 वर्ग मीटर पर से **बेदखल** किया जाता है तथा गैर सायल से शरह लगान 1 रूपये का 50 गुणा = 50/- रूपये तावान कायम व वसूली का आदेश दिया जाता है। तहसील राजस्व लेखाकार से राजस्व लेखों में मांग कायमी व पटवारी हल्का नांगलिया गुजरवास से तावान की वसूली करवाई जावे। गैर सायल की **राजस्व ग्राम देवनगर** स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 1480 रकबा 3.07 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकीन पहाड़ के रकबा 444 वर्ग मीटर भूमि पर से भौतिक मौका बेदखली हेतु सम्बन्धित भू–अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का के नाम निर्णय की पालना हेतु तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 15–10–2020 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(कृष्ण सिंह)
तहसीलदार खेतड़ी
तहसीलदार खेतड़ी
जिला- झुन्झुनूं (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirshan Singh
Date: 2020.10.23 14:59:08 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner